जन आधार

राजस्थान सरकार

आयोजना विभाग

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

क्रमांकः—एफ.17(8)22 / डीईएस / रा.ज.आ.यो. / का.स. बैठक / 2020 / 125 दिनांकः 13.01.2026

आदेश

मृत्यु के अतिरिक्त अन्य कारणों से किसी जन आधार में मुखिया / सदस्य के स्थाई / अस्थाई रूप से निष्क्रिय (Deactive) करने की निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है—

i. किसी जन आधार में मुखिया / सदस्य को निष्क्रिय करने की अपील द्वितीय सत्यापक की एसएसओ आईडी पर उपलब्ध जन आधार एप्लीकेशन के Action List विकल्प में Deactivation Request Temporary एवं Deactivation Request Permanent से ऑनलाईन माध्यम से की जायेगी।

ii. अस्थाई रूप से निष्क्रिय Deactivation Request Temporary तथा स्थाई रूप से निष्क्रिय Deactivation Request Permanent विकल्प का चयन कर की जायेगी।

iii. द्वितीय सत्यापक के स्तर से प्राप्त इस प्रकार के सभी आवेदनों को संयुक्त / उप निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी द्वारा जिला कलक्टर से OTP के स्थान पर पत्रावली के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।

iv. जिला कलक्टर से अनुमोदन एवं हस्ताक्षर युक्त कार्यालय आदेश को जन आधार पोर्टल पर अपलोड उपरांत अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी (संयुक्त / उप निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी) की एसएसओ आईडी पर उपलब्ध जन आधार एप्लीकेशन के Action List विकल्प में Deactivation Verification Temporary एवं Deactivation Verification Parmanent से ऑनलाईन माध्यम से किसी जन आधार से मुखिया / सदस्य को निष्क्रिय किया जायेगा।

अस्थाई रूप से निष्क्रिय (Deactive) मुखिया / सदस्य को पुनः सक्रिय (Reactive) करने की प्रक्रिया :—

i. किसी जन आधार में अस्थाई रूप से निष्क्रिय मुखिया / सदस्य को पुनः सक्रिय करने की अपील द्वितीय सत्यापक की एसएसओ आईडी पर उपलब्ध जन आधार एप्लीकेशन के Action List विकल्प में Reactivation Request से ऑनलाईन माध्यम से की जायेगी।

ii. द्वितीय सत्यापक के स्तर से प्राप्त अस्थाई रूप से निष्क्रिय मुखिया / सदस्य को पुनः सक्रिय करने के सभी आवेदनों को संयुक्त / उप निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी द्वारा जिला कलक्टर से OTP के स्थान पर पत्रावली के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।

iii. जिला कलक्टर से अनुमोदन एवं हस्ताक्षर युक्त कार्यालय आदेश को जन आधार पोर्टल पर अपलोड उपरांत अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी (संयुक्त / उप निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी) की एसएसओ आईडी पर उपलब्ध जन आधार एप्लीकेशन के Action List विकल्प में Reactivation Request Verification से ऑनलाईन माध्यम से किसी जन आधार से मुखिया / सदस्य को पुनः सक्रिय किया जायेगा।

iv. **स्थाई रूप से निष्क्रिय** मुखिया / सदस्य को किसी भी स्थिति में पुनः सक्रिय नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त प्रक्रिया से संबंधित समस्त प्रावधान जन आधार एप्लीकेशन में कर दिये गये है।

उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।

Signature valid

(डॉ. रवि कुमार सुरपुर)

Digitally signed by Ravi Kumar Surpur
Designation : Secretary To Government
Date: 2026.01.12 21:26:44 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19852797

eSign 1.0

जन आधार

सत्यमेव जयते

International Year of Cooperatives 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग तथा अध्यक्ष, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग एवं पदेन अति. महानिदेशक (तकनीकी), राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
3. जिला कलक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी, समस्त जिले, राजस्थान।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा अति. महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
6. तकनीकी निदेशक, जन आधार, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर।
7. संयुक्त/उप निदेशक, जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय, समस्त राजस्थान।
8. उपखण्ड अधिकारी, समस्त, राजस्थान।
9. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, समस्त पंचायत समिति, राजस्थान।
10. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref No.:
19852797
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Ravi Kumar Surpur
Designation : Secretary To Government
Date: 2026.01.12 21:26:44 IST
Reason: Approved